उत्तराखण्ड शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग–3

संख्या 623/XI/16/53(35)2004

देहरादून, दिनांकः 25 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना /XI/16/53(35)2016, दिनांक अक्टूबर 2016 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली–2016"** की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना प्रतियां ग्राम्य विकास अनुभाग–3 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड नैनीताल।
8. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी।
10. मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(एस0एस0 वल्दिया)

संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–3
संख्या 622 /XI/2016/53(35)2004
देहरादून दिनांक 25 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली–2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 8 का संशोधन:– 2. मूल सेवा नियमावली, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8. ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने विज्ञान या कृषि विषय के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद से इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। महिला अभ्यर्थियों के लिए इन्टरमीडिएट गृह विज्ञान भी मान्य होगा। कम्प्यूटर का कार्यालय में उपयोग का सामान्य ज्ञान भी आवश्यक होगा।	8. ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि/विज्ञान/अर्थशास्त्र/कॉमर्स में स्नातक उपाधि धारण करता हो, साथ ही वह कम्प्यूटर संचालन में सी0सी0सी0 लेबिल का प्रमाण–पत्र धारक भी हो।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisional of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No...622...... Date 25-10-2016

Government of Uttarakhand
Rural Development Department
No. 622 /XI/16/53(35)2004
Dehradun Dated 25 Oct, 2016

Notification

MISCELLANEOUS

In exercise of the powers Conferred by the proviso to Article "309" of the Constitution of India, The Governor is pleased to make the further amendments in the Uttarakhand Village Development Officer Service Rules 2011 for general information.

THE UTTARAKHAND VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER SERVICE (AMENDMENT) RULES, 2016

Short title and commencement:-

1- (1) These Rules may be called the Uttarakhand Village Development Officer Service (Amendment) Rules, 2016.

(2) It shall come in to force at once.

Amendment of Rule 8.

2- In the Principal Rules for the rules set out in column-1, bellow therules set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rules	Column-2 Rules as hereby, substituted
8. A candidate for recruitment of the post of village development officer must have passed the intermediate examination with Science or Agariculture from the Secondary Education Board of U.P./ Uttarakhand Educational Examination Board or any equivalent examination with a minimum of 50 percen of total marks obtained . Female candidates passed with intermediate Home Science will also be eligible. The Knowledge of Computer operation in official use is essential.	8. A candidate for recruitment to the post of village development officer must have garaduate in Agriculture /Science/ Economics/Commerce from any Recognised University and must have a C.C.C. level Certificate in Computer Operation.

(Manisha Panwar)
Principal Secretary

:—स्पीड पोस्ट:—

सख्या 1854/XI/11/53(17)/2007

प्रेषक,

बृजेश कुमार सन्त
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय, लिथौ प्रैस
रूड़की, जनपद हरिद्वार।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 12 दिसम्बर 2011.

विषय: उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 2011 के प्रकाशसन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 2011 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत सेवा नियमावली को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित करवाते हुये 100—100 प्रतियॉ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(बृजेश कुमार सन्त)
अपर सचिव।

सख्या 1854/XI/11/53(17)/2007 तद्दिनांक।

उपरोक्त वर्णित सेवा नियमावली की छायाप्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
अनु सचिव।

(79)

उत्तराखण्ड सरकार
ग्राम्य विकास विभाग,
संख्या 1852/XI/53(17)/2007
देहरादूनः दिनांक 12 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 2011

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 2011 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी समूह "ग" सेवा अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा है।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से जिला विकास अधिकारी अभिप्रेत है।

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत के संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए।

(ग) आयुक्त से आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

(घ) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है।

(ड) "सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है।

(च) राज्यपाल से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है।

(छ) सेवा के सदस्य से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ

28

होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों व आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी समूह "ग" सेवा अभिप्रेत है।

(झ) मौलिक नियुक्ति से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो।

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेन्डर वर्ष के पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत हैं।

भाग–2– संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा के सदस्यों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय,उतनी होगी जो परिशिष्टि "क" में दी गयी है;

परन्तु यह कि:–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकते है, या राज्यपाल उसको स्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते है, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग–3–भर्ती

भर्ती का श्रोत 5. शत प्रतिशत पद विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेगें।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–4–अर्हतायें

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी:–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो या,

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्व अफ्रीका देश से प्रवजन किया हो।

परन्तु, यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त करें,

परन्तु यह भी कि, यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी "ग" से संबंधित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद सेवा में तभी रखा जायेगा जबकि उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में

पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हों और न ही नामंजूर किया गया हों, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकेगा और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकेगा कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

शैक्षिक योग्यता — 8. ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने विज्ञान या कृषि विषय के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद से इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। महिला अभ्यर्थियों के लिए इन्टरमीडिएट गृह विज्ञान भी मान्य होगा। कम्प्यूटर का कार्यालय में उपयोग का सामान्य ज्ञान भी आवश्यक होगा।

अधिमानी अर्हताएं — 9 अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो या,

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु — 10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष की जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाए, 01 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हों,

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामलों में जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

चरित्र — 11. सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र

ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगें, नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नही होगें।

वैवाहित प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है यदि उनका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी भी अभ्यर्थी को किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे उपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के अध्याय 3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

(24)

भाग–5–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या, संगत सेवा नियमावली के अनुसार ही, अवधारित करेगा। यदि चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।

भर्ती की प्रक्रिया

15\. (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) जनपद के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन राज्य के प्रत्येक जिले में मुख्यालय पर एक चयन समिति द्वारा किया जायेगा। जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें:–

(क)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(ग)	जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक जनपदीय वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, जो अनुसूचित जाति या जनजाति के हों	सदस्य
(घ)	ज़िला विकास अधिकारी	सदस्य
(ड)	अन्य पिछड़ा वर्ग का एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य

टिप्पणी– समस्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जनपद के मुख्यालय पर किया जायेगा।

(3) लिखित परीक्षा 150 अंको की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी .जिसमें अंकों का वितरण निम्न प्रकार होगा:–

(23)

(क) सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन जिसमें लेखा संबंधी विषय भी शामिल होगें वस्तुनिष्ठ प्रश्न–100 अंक।

(ख) कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 अंक

(ग) ग्राम्य विकास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 अंक

(घ) सामान्य हिन्दी 10 अंक

(ड.) चयन श्रेष्ठता के आधार पर किया जायेगा किन्तु ऊपर (क) (ख) तथा (ग) व (घ) में अंकित विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करना चयन के लिए आवश्यक होगा।

(4) राज्य सरकार सभी जनपदों के लिए एक ही लिखित परीक्षा आयोजित कर सकती है।

(5) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र, उप नियम (6) में प्रकाशित प्रारूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगाः–

(क) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(ख) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(ग) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(7) रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित नही किया जायेगा।

(8) भर्ती हेतु लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ पर (Objective Type Questions with Multiple Choice) आधारित होगी।

(9) परीक्षा में इन्टरमीडिएट स्तर के प्रश्न होंगे।

(10) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(11) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) की कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में हो तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(12) लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक (Negative Marking) की व्यवस्था होगी। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक तथा गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक दिया जायेगा।

(13) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की बैवसाईट www.ua.nic.in पर प्रकाशित किया जायेगा।

(14) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों को उत्तराखण्ड की बैवसाईट www.ua.nic.in पर प्रकाशन किया जायेगा।

(15) लिखित परीक्षा के प्राप्तांको और अन्य मूल्याकंनों के कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में समान अंक प्राप्त करें तो आयु में बड़े अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनाधिक) होगी।

(16) चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

(17) जब चयन प्रकिया पूरी हो जाए और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाए तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों का कुल योग व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड की बैवसाईट पर, जनपद के

जिला कार्यालय और संबंधित कार्यालय के सूचना पट्‌ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा) अधिकतम अंक के साथ अवरोही कम में (Descending Order) उत्तराखण्ड की बैवसाईट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(18) अभ्यर्थियों की ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए, भुगतान करने पर चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रकिया से संबंधित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे तो उसे दो रूपयें प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियां भी दी जायेंगी।

भाग–6–प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

प्रशिक्षण

16. ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र पर छः माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात् ही नियुक्ति की जायेगी।

नियुक्ति

17. मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस कम से लेकर, जिसमें वो यथास्थिति नियम 15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, और जिन्होने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, नियुक्तियां करेगा।

परिवीक्षा

18. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाए, परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के

सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोषजनक सेवायें प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवायें समाप्त की जाए, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

19. ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी, परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदिः—

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाए,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए और

(ड.) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

20. ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली 2002 में दिये गये उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

(19)

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान

21. (1) सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों चाहे, नियुक्ति मौलिक या स्थानापन्न रूप से या अस्थायी आधार पर की गयी हो, का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय पर वेतनमान परिशिष्ट क में दिये गये है।

परिवीक्षा अवधि के वेतनमान

22. मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को समयमान में उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी अनुमन्य होगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो ओर उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक पाया गया हो,

परन्तु यदि संतोषजनक सेवा प्रदान न करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी, अन्यथा निर्देश न दें।

भाग–8–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

23. सेवा में पदों पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

24. ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेश के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों

पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होगें।

सेवा की शर्तो में शिथिलता 25. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जायें कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामलें मे अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वह उस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्य रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति 26 इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हों।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

(17)

परिशिष्ट–"क"

शा0आ0 संख्या 1380/यू0ओ0/45/ग्रा0वि0वि0/2006 दिनांक 07 दिसम्बर 2006 के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग को पुनर्जीवित किया गया है।

शा0आ0संख्या 610/XI/05/53(65)/04 दिनांक 24 जून 2005 द्वारा स्वीकृत पदों का विवरणः–

क0स0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
			अस्थाई	स्थाई	कुल पदों की संख्या
1.	ग्राम विकास अधिकारी	रू0 3200–85–4900 (संशोधित वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2000)	—	950	950